न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :—उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :—17 / 2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनूं।

—बनाम—

साजिद खान पुत्र इब्राहीम, जाति काजी, निवासी वार्ड नं0 23, झुंझुनूं, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

——

उपस्थिति :—

1. सरकार की ओर से :—श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. गैर सायल की ओर से :— अनुपस्थित

—निर्णय—

दिनांक 27.01.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 06.10.2020 को गैरसायल साजिद खान पुत्र इब्राहीम, जाति काजी, निवासी वार्ड नं0 23, पशु अस्पताल के पीछे कस्बा झुंझुनूं, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि साजिद खान पुत्र इब्राहीम, जाति काजी, निवासी वार्ड नं0 23, पशु अस्पताल के पीछे कस्बा झुंझुनूं, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृति का बदमाश व्यक्ति है। यह कस्बा झुंझुनूं मे बदमाश व्यक्तियों के साथ रहकर जुआ सट्टा करता है तथा अनावश्यक ही अपराधिक गतिविधियों से कस्बा झुंझुनूं मे आम नागरिकों को भयभीत व आंतकित करके रखता है। लेकिन इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज नही करवाता है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना देता है तथा ना ही इसके खिलाफ कोई व्यक्ति गवाही देने के लिए तैयार है। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों मे माननीय न्यायालय द्वारा सजा किये गये अपराधों का विवरण निम्नानुसार है:—

1. अभियोग संख्या 93 / 10 दिनांक 21.03.2010 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना कोतवाली, झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 52 / 10 दिनांक 25.03.2010 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.07.2010 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 50 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 56 / 11 दिनांक 22.02.2011 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना कोतवाली, झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 25 / 11 दिनांक 24.02.2011 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2011 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए परिवीक्षा अधि0 की धारा 3 का लाभ दिया गया।
3. अभियोग संख्या 325 / 13 दिनांक 29.10.2013 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना कोतवाली, झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 185 / 13 दिनांक 31.10.2013 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.11.2013 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार उक्त साजिद खान पुत्र इब्राहीम, जाति [illegible] निवासी वार्ड नं0 23, पशु अस्पताल के पीछे कस्बा झुंझुनूं, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं [illegible] का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 [illegible] की परिभाषा मे पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

(39)

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 03.11.2020 को गैरसालय न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ। गैरसायल द्वारा प्रकरण मे कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया। आज गैरसायल अनुपस्थित। गैरसायल के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं–

1. अभियोग संख्या 93/10 दिनांक 21.03.2010 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना कोतवाली, झुंझुनूं में पंजीबद्व होकर चार्ज सीट नम्बर 52/10 दिनांक 25.03.2010 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.07.2010 में अभियुक्त को दोषसिद्व मानते हुए 50 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 56/11 दिनांक 22.02.2011 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना कोतवाली, झुंझुनूं में पंजीबद्व होकर चार्ज सीट नम्बर 25/11 दिनांक 24.02.2011 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2011 में अभियुक्त को दोषसिद्व मानते हुए परिवीक्षा अधि0 की धारा 3 का लाभ दिया गया।
3. अभियोग संख्या 325/13 दिनांक 29.10.2013 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना कोतवाली, झुंझुनूं में पंजीबद्व होकर चार्ज सीट नम्बर 185/13 दिनांक 31.10.2013 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.11.2013 में अभियुक्त को दोषसिद्व मानते हुए 100 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 3 बार दोषसिद्व होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान एपीपी–1 पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली जिला झुन्झुनू में अभियोग संख्या 93/10 दिनांक 21.03.2010 धारा 13 आरपीजीओ अधि0, अभियोग संख्या 56/11 दिनांक 22.02.2011 धारा 13 आरपीजीओ अधि0, अभियोग संख्या 325/13 दिनांक 29.10.2013 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 में पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुन्झुनू में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल साजिद खान को दोषी मानकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत क्रमशः 50, परीवीक्षा अधि0 की धारा 3 का लाभ का लाभ दिया गया, 100 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। गैर सायल साजीद खान राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। गैरसायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से जाहिर है कि उसके उक्त समस्त कृत्य उसे स्वीकार्य है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधो की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (II) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः साजिद खान पुत्र इब्राहीम, जाति काजी, निवासी वार्ड नं0 23, पशु अस्पताल के पीछे कस्बा झुंझुनूं, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं को राज[illegible] 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 15 दिन की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से [illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त 15 दिन की अवधि में गैर सायल [illegible] तथा वह प्रतिदिन कोतवाली में उपस्थिति दर्ज करवायेगा तथा थाना कोतवाली [illegible] सूचना पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं, जिला झुन्झुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुन्झुनू गैर सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा । यह निर्णय दिनांक 27.01.2021 के पश्चात 07 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनू
27/01/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:25 IST
Reason: SelfAttested